रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 619] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2012/चैत्र 11, 1934

No. 619] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2012/CHAITRA 11, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2012

का.आ. 706(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17.09.1991 की अधिसूचना सं. 603 (अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलाग जिलों को दिनांक 17.09.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अतर्गत अशात क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2011 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रो' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषाणा की अवधि को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाया गया।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नही है, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त है, और विभिन्न भूमिगत सगठन् जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में भी निरंतर संलिप्त हैं। दोनों गुट तीरप और चागलांग जिलो में स्थानीय राजनेताओं को भी ड़राते रहे हैं। इन भूमिगत संगठनों के काडर इने जिलो का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप मे तथा शस्त्र एव गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं। इन संगठनों के कॉडर चांगलाग जिला के देशज रंगफ्राह धर्म के अनुयायियों के धार्मिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप करते रहे है।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2012 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एनई. II]

शंभू सिंह संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2012

S.O. 706 (E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2011 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2012.

3. The law & order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter factional clashes, and various Under Ground outfits continue to engage in extortion and recruitment of cadres also. Both the factions also continue to threaten the local politicians in Tirap and Changlang Districts. Cadres of these Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions. These outfit cadres continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrah Faith followers of District Changlang also.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01st April 2012, unless withdrawn earlier.

[F No. 13/27/99-NE. II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.